लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

वित्त समिति की कार्यवृत्त

वित्त समिति की दिनांक 05 मार्च, 2010 की स्थगित बैठक दिनांक 18 मार्च, 2010 सायं 4: 00 बजे कुलपति कार्यालय में सम्पन्न हुई, बैठक मे उपस्थिति निम्नवत् है: -

उपस्थिति

1.	प्रो0 एम. के. मिश्र	कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 यू. एन. द्विवेदी	प्रति कुलपति	सदस्य
3.	श्रीमती अनीता मिश्रा	विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
4.	श्री अरविन्द नारायण मिश्र	विशेष सचिव (वित्त) उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
5.	प्रो0 यशवीर त्यागी	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
6.	श्री आर. पी. सिंह	कुलसचिव	सदस्य
7.	डा0 झूलन सिंह	वित्त अधिकारी	सचिव सदस्य

__बिन्दु संख्या - 1__ वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 23 दिसम्बर, 2009 की कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

__बिन्दु संख्या - 2__

(क) समिति द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक (आयोजनेत्तर एवं आयोजनागत) के साथ-साथ विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न स्व: वित्त पोषित पाठ्यकमों के आय-व्ययक पर विचार-विमर्श करते हुए निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की: -

1. वित्तीय वर्ष 2009-10 के अन्तर्गत निम्नलिखित मदों की धनराशियों को समिति के द्वारा पुनरीक्षित किये जाने पर स्वीकृति प्रदान की गयी: -

कम सं.	मद	पूर्व में स्वीकृत धनराशि (लाख में)	पुनरीक्षित धनराशि (लाख में)
1.	विधिक व्यय	15.00	30.00
2.	सुरक्षा प्रहरी	12.00	25.00
3.	विज्ञापन	10.50	30.00
4.	पुस्तकालय	22.00	25.00
5.	वर्दी	01.00	20.00

2. वित्तीय वर्ष 2010-11 के आयोजनेत्तर पक्ष के लखनऊ विश्वविद्यालय के आय-व्ययक अनुमानों पर विचारोपरान्त रू0 89.3125 करोड़ के व्यय पर स्वीकृति प्रदान की गयी इसके सापेक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय को शुल्कादि एवं उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त अनुदान को जोड़ते हुए रू0 64.6762 करोड़ की आय तथा स्ववित्त पोषित पाठ्यकमों से योगदान के रूप में रू0 4.9799 करोड़ की आय दर्शायी गयी इस प्रकार विश्वविद्यालय की कुल आय रू0 69.6561 करोड़ दर्शायी गयी है तथा विश्वविद्यालय के द्वारा आय-व्ययक में रू0 19.6564 करोड़ का घाटा दर्शाते हुए उत्तर प्रदेश शासन से अतिरिक्त अनुदान रू0 19.6564 करोड़ की मॉग की गयी है पर समिति के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। समिति के द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय द्वितीय परिसर तथा अन्य योजनाओं हेतु प्रस्तुत किये गये रू0 39.4189 करोड़ के प्रस्ताव पर भी अनुमोदन प्रदान किया गया उक्त के अतिरिक्त लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न स्ववित्त पोषित पाठ्यकमों की आय रू0 22.76 करोड़ के सापेक्ष रू0 19.75 करोड़ के

अनुमानित आय-व्ययक पर भी अनुमोदन प्रदान किया। साथ ही विकास कार्यो के निमित्त रू0 4.34 करोड़ के अनुमानित व्यय पर भी समिति के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

{ख} लखनऊ विश्वविद्यालय कला एवं शिल्प महाविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक {आयोजनेत्तर एवं आयोजनागत} के साथ-साथ कला एवं शिल्प महाविश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न स्वः वित्त पोषित पाठ्यकमों के आय-व्ययक पर विचार-विमर्श किया गया तथा विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2010-11 के आयोजनेत्तर पक्ष के कला एवं शिल्प महाविद्यालय के आय-व्ययक अनुमानों के अन्तर्गत रु 2.6083 करोड़ के व्यय पर स्वीकृति प्रदान की गयी। समिति के द्वारा कला एवं शिल्प महाविद्यालय में आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु रू0 4.65 करोड़ के प्रस्ताव पर भी अनुमोदन प्रदान किया तथा उक्त के अतिरिक्त कला एवं शिल्प महाविद्यालय में चल रहे विभिन्न स्ववित्त पोषित पाठ्यकमों के आय-व्ययक में रू0 33.00 लाख अनुमानित आय के सापेक्ष रू0 32.59 लाख के अनुमानित व्यय पर भी अनुमोदन प्रदान किया।

<u>बिन्दु संख्या - 3</u>

JEE B.Ed. 2010 की प्रवेश परीक्षा के आय-व्ययक पर विचार-विमर्श तथा शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय एवं अन्य पारिश्रमिक की दरों पर विचार-विमर्श करते हुए समिति के द्वारा रू0 42.38 करोड़ की आय के सापेक्ष रू0 15.48 करोड़ के व्यय अनुमानों पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा प्रवेश परीक्षा कार्यो हेतु विभिन्न प्रकार के पारिश्रमिक एवं अन्य व्यय की दरों पर भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>बिन्दु संख्या - 4</u> अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा जारी की गयी सार्वजनिक सूचना के कम में विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की शुल्क की वापसी किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि जिन छात्रों के द्वारा शुल्क जमा किये जाने के पन्द्रह दिनों के अन्दर शुल्क वापसी का आवेदन पत्र विश्वविद्यालय में जमा कर दिया गया है उनकी शुल्क में 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शुल्क वापस किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।

<u>अन्य बिन्दु संख्या 1</u> वित्त समिति विश्वविद्यालय के वादों का मा0 न्यायालय में पैरवी हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अधिवक्ताओं को विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में प्रतिवाद रू0 6675/- भुगतान किया जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय की आर्थिक दशा को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रस्तावित है कि प्रतिवाद उक्त फीस को घटाकर पूर्व की भाँति रू0 4450/- प्रतिवाद भुगतान किया जाये एवं यदि उसी प्रकृति का कोई दूसरा वाद जिसकी पैरवी उसी समय करनी हो, तो इस प्रकार के सभी वादों को सम्मिलित कर प्रथम वाद हेतु रू0 4450/- तथा शेष अन्य वादों हेतु रू0 445/- प्रतिवाद अतिरिक्त देय होगा सम्बन्धी प्रस्ताव पर समिति के द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पूर्व की भाँति रू0 6675/- तथा कनिष्ठ अधिवक्ताओं को रू0 4450/- प्रतिवाद भुगतान किया जाये तथा एक ही प्रकृति के वादों को एक ही में सम्मिलित करते हुए अतिरिक्त वाद के रूप में रू0 445/- प्रतिवाद का अतिरिक्त भुगतान किया जाये।

<u>अन्य बिन्दु संख्या 2</u> शासनादेश के अनुरूप लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को छठे वेतनमान की संस्तुतियों को विश्वविद्यालय के द्वारा अगस्त पेड सितम्बर, 2009 से लागू किये जाने के फलस्वरूप शासनादेश में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत दिसम्बर, 2008 से जुलाई, पेड अगस्त 2009 तक के वेतन बकाये की धनराशि भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा विचार-विमर्श करने के उपरान्त विशेष सचिव {वित्त}, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बताया गया कि उक्त से सम्बन्धित 31.03.09 तक के बकाये की धनराशि विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जा चुकी है तथा 01.04.09 से जुलाई पेड अगस्त 09 की धनराशि विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराए गये 13.15 करोड़ की धनराशि से ही वहन की जानी है।

<u>अन्य बिन्दु संख्या 3</u>

लखनऊ विश्वविद्यालय में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों को सी.पी.एफ. एवं सामूहिक बीमा योजना प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में समिति ने

विचार-विमर्श करते हुए दिशा-निर्देश प्रदान किये गये कि इस सम्बन्ध में समिति के समक्ष विस्तृत जानकारी रखी जाए कि स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में किस-किस तरह के कर्मचारी कार्यरत हैं तथा जिन कर्मचारियों को वेतनमान दिया जा रहा है वह किस शासनादेश से आच्छादित है तथा उक्त कर्मचारी सी.पी.एफ एक्ट में दिये गये निर्देशों के अनुसार सी.पी.एफ की कटौती हेतु अर्ह हैं अथवा नही। साथ ही विशेष सचिव वित्त के द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि यदि स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में वेतनमान में कार्यरत कर्मचारी हैं तो वे कैसे तैनात हुए हैं इसका परीक्षण कर लिया जाए कि यह कैसे नियुक्त हुए हैं साथ ही इन्हें तत्काल डाईंग कैडर घोषित करते हुए इनकी एक वरिष्ठता सूची तैयार कर ली जाए तथा भविष्य में लखनऊ विश्वविद्यालय में रिक्त होने वाले पदों पर इन कर्मचारियों की समायोजन की कार्यवाही पर भी विचार किया जा सके।

<u>अन्य बिन्दु संख्या-4</u>

लखनऊ विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर सेण्टर पर कम्प्यूटर क्लस्टर की स्थापना के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया तथा विचारोपरान्त कम्प्यूटर क्लस्टर की उपयोगिता एवं शैक्षणिक महत्ता तथा शोध की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय कम्प्यूटर सेण्टर में Cluster for high performance computing की स्थापना हेतु रू0 24,63,341/- मात्र के प्रस्ताव पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>अन्य बिन्दु संख्या-5</u>

वित्त समिति की बैठक दिनांक 21 दिसम्बर, 2008 के बिन्दु संख्या -7 में पी.एच.डी. शुल्क के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय के कम में ''लखनऊ विश्वविद्यालय में पी.एच.डी. छात्रों हेतु प्रथम चार वर्ष तक रू0 4700/-, पॅाचवें वर्ष हेतु रू0 7,500/- तथा छठे वर्ष रू0 10,000/- एवं सातवें वर्ष हेतु रू0 15,000/- प्रतिवर्ष शुल्क लिए जाने पर सहमति व्यक्त की गयी'' इस सम्बन्ध में समिति के समक्ष D.Lit./D.Sc./LL.D पाठ्यक्रम के शुल्क को भी पी.एच.डी. के सम्तुल्य करने पर विचार-विमर्श किया गया। विचारोपरान्त समिति के द्वारा D.Lit./D.Sc./LL.D पाठ्यक्रम के शुल्क को भी बढ़ाकर पी. एच.डी. शुल्क के बराबर किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी तथा शैक्षणिक सत्र 2009-10 से निम्नानुसार शुल्क लागू किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>Fee Structure for the Ph.D/D.Lit./D.Sc./LL.D Students from the session 2009-2010 onwards in the Faculty of Arts, Science, Commerce, Law, Education and Fine Arts</u>

Sl. No.	Head	Amount	Remarks
1.	Admission Fee	500.00	
2.	Games Fee	70.00	
3.	Library Fee	210.00	
4.	Tution Fee	4284.00	
5.	Development Fee	3461.00	
6.	Student Union Fee	75.00	
7.	Delegacy Fee	20.00	
8.	Poor Student Fund	70.00	
9.	Cultural Act Fee	28.00	
10.	Accidental Relief Fund	50.00	
Total		**8768.00**	
Govt. Aid in Tution Fee		**4068.00**	
To be Paid by student		**4700.00**	**+ Additional fee if any**

Note:- Other fee will be charged as per old fee ordinance 2007-08 and onwards.

<u>अन्य बिन्दु संख्या-6</u>

वित्त समिति के समक्ष दिनांक 09.03.2010 को सम्पन्न हुई इम्पावरमेण्ट कमेटी की बैठक की कार्यवृत्ति भी अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी। समिति के द्वारा विभिन्न विभागों के शिक्षकों, विभागाध्यक्षों एवं संकायाध्यक्षों को स्वायत्ता एवं सशक्तिकरण के निर्णय के कम में रू0 182.90 लाख

की धनराशि दिये जाने के प्रस्ताव पर भी इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया कि इस सम्बन्ध में कुलपति की स्वीकृति से वित्त अधिकारी सम्बन्धित व्यय हेतु निर्धारित मदों के अन्तर्गत सम्बन्धित शिक्षकों को अस्थायी प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन हेतु विस्तृत आदेश पारित कराएंगे।

<u>अन्य बिन्दु संख्या-7</u>

वित्त समिति के द्वारा विशेष सचिव {वित्त}, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 225/वीएसएमएफ/2010 दिनांक 10.03.2010 द्वारा दिये गये सुझाव पर भी विचार-विमर्श किया गया कि विभिन्न शैक्षणिक कार्यो के लिए अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदानों के बारे में भी कुलपति महोदय द्वारा समीक्षा की जाए तथा वित्त समिति को भी इसकी जानकारी अवगत कराने की व्यवस्था विकसित कर ली जाए। समिति के द्वारा राज्य सरकार से वित्तीय वर्ष 2008-09 व 2009-10 में विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी गयी धनराशियों के उपयोग की अद्यतन स्थिति से भी वित्त समिति को अवगत कराया गया।

मा0 अध्यक्ष जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समिति की बैठक सम्पन्न की गयी।

{प्रो0 एम. के. मिश्र}
कुलपति

{प्रो0 यू. एन. द्विवेदी}
प्रति-कुलपति

{अरविन्द नारायण मिश्र}
विशेष सचिव {वित्त}

{अनीता मिश्रा}
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा

{प्रो0 यशवीर त्यागी}
परीक्षा नियंत्रक

{आर. पी. सिंह}
कुलसचिव

{डा0 झूलन सिंह}
सचिव सदस्य